

नगर पार्षद, मधुपुर

नाजीर रसीद

क्रम संख्या - 1853

वर्ष 2015-16

जिल्द संख्या - 19

किससे प्राप्त हुआ..... श्री प्रदीप कुमार शर्मा 3-7-15
30 अगस्त 2015
नवश्री रेडींग 3000

किस मद.....
18000/-

रकम (अंको में)..... 18000/-

शब्दों में..... अठारह हजार केवल

कुल रकम.....

तारीख... 17-3-16

नाजीर का हस्ताक्षर
नगर परिषद, मधुपुर

नगरपरिषद कार्यालय, मधुपुर

पत्रांक 35/15-16 / मधुपुर, दिनांक 31/3/16
प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,
मधुपुर नगरपरिषद ।

सेवा में,

प्रदीप कुमार शिल्लियां -
श. बरान्त लाल शिल्लियां


विषय :- नक्शा स्वीकृत करने के संबंध में ।

गहाशय,


आपके द्वारा नगरपरिषद कार्यालय में दाखिल नक्शा को नीचे लिखे निम्नलिखित शर्तों के साथ निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत किया जाता है । वर्णित शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।

1. निर्माण कार्य नगरपरिषद सड़क, नाली, गली एवं सरकारी जमीन से दो फिट हटकर ही निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे ।
2. किसी भी प्रकार का कोई प्रोजेक्शन सड़क, नाली, गली, सरकारी/गैर सरकारी जमीन पर नहीं निकालेंगे ।
3. सड़क नाली, गली एवं सरकारी जमीन के अलावे अन्य किसी भी व्यक्ति का जमीन अतिक्रमण किसी भी रूप में नहीं करेंगे ।
4. अपने घर का गंदा पानी सरकारी नाला छोड़कर अन्यत्र नहीं निकालेंगे । सरकारी नाला नहीं रहने पर गंदा पानी आप अपने जमीन पर सॉकपीट बनाकर जमा करेंगे । इसका अनुपालन करना आपकी जिम्मेवारी होगी ।
5. निर्माण कार्य की सामग्री सड़क, गली, नाले पर रखकर आवागमन को बाधित नहीं करेंगे ।
6. सैप्टिक टैंक सॉकपीट का निर्माण आप अपने जमीन पर अपने खर्च से ही तैयार करेंगे । ये दोनों ही निर्माण दूसरे के भवन / जमीन से कम से कम तीन फिट की दूरी पर करेंगे । निर्माण करते समय अन्य व्यक्तियों का पेयजल कुूप को ध्यान में रखकर करेंगे ताकि पेयजल कुूप के पानी पर कोई अरार नहीं पड़े ।
7. स्वीकृति की तिथि से नक्शा निर्माण कार्य के लिए एक साल तक ही वैध रहेगा ।
8. विद्युत के ठनके से भवनों को बचाने के लिए भवनों में विद्युत तड़ितचालक राखत्र लगाना अनिवार्य होगा ।
9. भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने की तिथि की सूचना इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से देना होगा ।
10. अपने जमीन पर जल संचय करने के लिए सॉकपीट बनाना अनिवार्य होगा ।
11. जमीन आदि से संबंधित गलत सूचना (कागजात) आवेदन के साथ देने पर नक्शा स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं जिसकी जिम्मेवार स्वयं आवेदक होंगे ।
12. पारित नक्शा में किसी प्रकार का बदलाव करने पर आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे ।
उपरोक्त सभी शर्तों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ताकि भविष्य में अतिक्रमण संबंधित कोई विवाद नह हो ।

अनुलग्नक :- स्वीकृत नक्शा की एक प्रति ।

विश्वासभाजन

31/3/16
कार्यपालक पदाधिकारी
मधुपुर नगरपरिषद

भमापत्री Pay-in-slip नकद अंतरण CASH/TRANSFER



भारतीय स्टेट बैंक

State Bank of India

शाखा / Branch

दिनांक / Date 31/03/16

खाते का प्रकार : बचत बैंक/चालू खाता/आवर्ती जमा/ टीडीआर/ एमटीडीआर/ कैश क्रेडिट/ सावधि ऋण खाता सं०

Type of Account : SB/CA/RD/TDR/STDR/CC/TL A/c. No.

खाता सं० A/c. No.	3	0	6	1	3	8	9	5	9	3	5
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

के बैंक खाते में जमा किये हेतु / For the credit of the Bank

Account of विकास बैंक, कल्याण

नकद/चेकों के विवरण/रुपयों की हमारी ओर / Details of Cash/Cheques/Overdraft

खात में नकद जमा / Cash Deposited in the account

नकदी गभ्ररखाव शुल्क / Cash Handling charges

कुल जमा / Total Deposits

रुपय (शब्दों में) / Rupees (in words)

Two thousand only

(कार्यालय उपयोग हेतु / FOR OFFICE USE)

एम. डब्ल्यू. आ. SWO

रोकड़ अधिकारी/पासकर्ता अधिकारी
Cash Officer/Passing Officer

New Sahni-Code No 109199013